

## वित्तीय सहायता पॉलिसी

### उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों का मूल्यांकन किया जाता है और उसे हमारे समुदाय की जरूरतों पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के अस्पताल के लक्ष्य के समर्थन में लगातार एवं निष्पक्ष रूप से संसाधित किया जाता है।

### क्षेत्र और प्रयोज्यता

#### 1. वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है?

Stamford अस्पताल में वित्तीय सहायता के पात्र होने के लिए व्यक्तियों को वित्तीय मानदंड और आकस्मिक/आवश्यक चिकित्सकीय मानदंड दोनों पूरे करना आवश्यक है जो नीचे उल्लिखित हैं।

- अमेरिकी और गैर-अमेरिकी निवासी (विद्यार्थियों सहित) जो बीमा रहित या जिनके पास कम बीमा (अंडर-इंश्योरड) है, एक संघीय या स्टेट प्रोग्राम या वहनीय देखभाल अधिनियम (Affordable Care Act) के माध्यम से उपलब्ध एक योग्य हेल्थ प्लान के लिए अयोग्य हैं।
- अमेरिकी निवासी जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय उनके परिवार के आकार के अनुसार वर्तमान में US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज (स्वास्थ्य एवं मानव सेवाओं का अमेरिकी विभाग) फेडरल पॉवर्टी (संघीय निर्धनता) दिशानिर्देशों से चार गुना अधिक नहीं है।

#### 2. पॉलिसी द्वारा कौन सी सेवाएं कवर की जाती हैं?

- चिकित्सकीय सहायता आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के भार को कम करने में मदद के लिए उपलब्ध है। सौंदर्यपरक, प्रायोगिक और सुविधाजनक सेवाएं इस पॉलिसी के अंतर्गत आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाएं नहीं समझी जा सकती हैं।
- यह पॉलिसी Stamford Health और इसके कवर्ड प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध सेवाओं को कवर करती है। परिशिष्ट C अस्पताल में प्रदान की जा रही आपातकालीन और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल प्रदाताओं (स्वयं अस्पताल के अलावा) की सूची प्रदान करता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि कौन से प्रदाता (या प्रदाताओं के समूह) इस पॉलिसी के अधीन हैं, और कौन से इस पॉलिसी के अधीन नहीं हैं। परिशिष्ट C में समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किए जाएंगे।

### पॉलिसी और आवेदन के लिए नोटिस

#### 1. व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय सहायता पॉलिसी के बारे में निम्नानुसार सूचित किया जाएगा:

- रजिस्ट्रेशन करवाने पर सभी रोगियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लैन (वित्तीय सहायता प्लैन) भाषा सारांश की एक प्रति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुरोध करने पर सारांश उपलब्ध करवाया जाएगा। सारांश जानकारी प्रदान करेगा कि रोगी कैसे संपूर्ण वित्तीय सहायता पॉलिसी (FAP), एक FAP आवेदन-पत्र, और वित्तीय सहायता प्रोग्राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- Stamford अस्पताल यह पॉलिसी, एक FAP आवेदन-पत्र और FAP की सरल भाषा सारांश को इसकी वेबसाइट <http://www.stamhealth.org> पर, अनुरोध करने पर मेल द्वारा बगैर शुल्क के और कम से कम एक आपातकालीन

विभाग और भर्ती विभाग सहित अस्पताल के अंदर विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध करवाएगा।

- C. Stamford अस्पताल इसके अस्पताल सुविधा-स्थल द्वारा सेवा प्रदान करने वाले समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रोग्राम के बारे में प्रबंधकों द्वारा निर्धारित ऐसे तरीके से सूचित करेगा जो उन सदस्यों तक पहुँच सके जिनकी Stamford अस्पताल से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना है।
- D. इसमें बिलिंग विवरणों पर विशिष्ट लिखित नोटिस शामिल है जो प्राप्तकर्ताओं को अस्पताल की FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है और अस्पताल सुविधा-स्थल कार्यालय के टेलीफोन नम्बर शामिल हैं जो FAP और FAP आवेदन प्रक्रिया और सीधे वेबसाइट एड्रेस (या URL) की जानकारी उपलब्ध करवा सकता है, जहाँ से FAP, FAP आवेदन-पत्र और FAP का सरल भाषा सारांश प्राप्त किया जा सके।
- E. कम से कम आपातकालीन विभाग और भर्ती क्षेत्र सहित अस्पताल के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर विशिष्ट सार्वजनिक डिस्प्ले स्थापित करना जो रोगियों को FAP के बारे में सार्वजनिक रूप से सूचित करे।

## 2. वित्तीय सहायता के लिए कैसे आवेदन करें।

- A. आरम्भिक अनुरोध लिखित या टेलीफोन द्वारा किये जा सकते हैं लेकिन अंतिम निर्धारण करने से पहले FAP आवेदन-पत्र पूरा करना और उसे जमा करना आवश्यक है। FAP का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, एक व्यक्ति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने के बाद उस व्यक्ति को इस नीति के बारे में बताया जाएगा और आवेदन-पत्रों की एक प्रति के साथ-साथ FAP सरल भाषा सारांश की प्रति भी भेजी जाएगी। यदि व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का सीमित या बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो यदि उचित हो तो ये दस्तावेज स्पेनिश या क्रियोल भाषा में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- B. विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत Stamford अस्पताल ऐसी सहायता के लिए आवेदन करने से पहले, या बगैर आवेदन किए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। इन परिस्थितियों में शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं:
  - 1) बगैर स्थाई पते वाले रोगी;
  - 2) मृतक रोगी जहाँ यह निर्धारित किया गया है कि कोई खुली संपत्ति नहीं है या संपत्ति दीवालिया है; और
  - 3) Stamford अस्पताल के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामला दर मामला आधार पर अन्य परिस्थितियां।
- C. वित्तीय सहायता के लिए एक अनुरोध किसी भी समय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति सेवाएं प्राप्त करने से पहले, प्राप्ति के दौरान या बाद में अनुरोध कर सकता है, जिसमें व्यक्ति के विरुद्ध संग्रह एजेंसी की कार्यवाही शुरू होना भी शामिल है।

## आवेदन-पत्र पूरा करना

आवेदन किसी भी व्यक्ति या उसके कानूनी अभिभावक द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि वित्तीय सहायता आवेदन के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया ग्राहक सेवा लाइन से 203-276-7572 पर सम्पर्क करें।

### 1. FAP आवेदन में निम्नलिखित जानकारी का अनुरोध किया जाता है:

- a. अनुरोध करने की तारीख
- b. अनुरोधकर्ता (यदि रोगी अवयस्क है तो माता-पिता या अभिभावक)

- c. रोगी का नाम
- d. सोशल सिक्योरिटी नम्बर (सामाजिक सुरक्षा नम्बर)
- e. रोगी की जन्मतिथि
- f. रोगी का पता
- g. टेलीफोन नम्बर
- h. परिवार में व्यक्तियों की संख्या
- i. परिवार की पिछले बारह (12) महीनों की आय (नवीनतम भरे गए टैक्स रिटर्न) और अंतिम माह के (वेतन रसीदें)।
- j. उपलब्ध संपत्तियां
- k. हस्ताक्षरित और दिनांकित आवेदन

2. FAP आवेदन निम्नलिखित जानकारी के लिए भी अनुरोध कर सकता है, जो Stamford अस्पताल आवेदनकर्ता के परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए उपयोग कर सकता है। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आवेदकों को निम्नलिखित प्रत्येक आइटम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है:

- a. नवीनतम उपलब्ध एक माह की अवधि की वेतन रसीदें
- b. बेरोजगारी अनुग्रह का सबूत
- c. किसी संघीय या स्टेट लाभों का सबूत
- d. बैंक खाता और निवेश के ब्यौरे
- e. आय के सबूत के रूप में नोटरीकृत स्वयं-सत्यापन

यदि एक FAP आवेदन जमा कर दिया है और पूरा नहीं है, तो जमा करने के तीस (30) दिनों के अंदर अस्पताल रोगी को लिखित रूप में, अस्पताल के पास आवेदक के पते पर सामान्य डाक द्वारा सूचित करेगा कि आवेदन पूरा नहीं है, और छूटी हुई जानकारी की आवश्यकता के बारे में आवेदक को सूचित करें। आवेदक को छूटी हुई जानकारी जमा करने के लिए तर्कसंगत समय (अतिरिक्त तीस (30) दिनों से कम नहीं) दिया जाएगा।

### वित्तीय सहायता के लिए पात्रता और राशि का निर्धारण करना

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता और राशि का निर्धारण केवल एक पूरा भरे हुए वित्तीय सहायता आवेदन के साथ वांछित दस्तावेजों को जमा करने पर ही किया जाएगा। फार्म को पेशेंट बिजनेस सर्विसेज डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस काउंसलर (वित्तीय सहायता सलाहकार) के पास जमा करवाना आवश्यक है जिस तक ग्राहक सेवा विभाग में 203-276-7572 पर फोन करके पहुँच सकते हैं।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की समीक्षा करते समय Stamford अस्पताल नीचे सूचीबद्ध प्रक्रिया का पालन करेगा। निर्धारण प्रत्येक मामला दर मामला आधार पर संचालित होगा, लेकिन पॉलिसी के अनुसार प्रक्रिया की जाएगी:

1. पात्रता और वित्तीय सहायता के स्तर का निर्धारण एक पूरा भरा हुआ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। एक आवेदन पर प्रक्रिया अनुरोध की गई सभी जानकारी और सामग्रियां प्राप्त होने और आवंटित फाइनेंसियल असिस्टेंस काउंसलर (वित्तीय सहायता सलाहकार) द्वारा उनकी समीक्षा करने के बाद की जाएगी।
2. Stamford अस्पताल निर्धारित करेगा कि क्या आवेदक वित्तीय सहायता के लिए पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के अनुसार पात्र है:
  - Stamford अस्पताल रोगी के परिवार की आय और परिवार के आकार की तुलना प्रभावी संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों (FPG) के साथ करेगा।
  - Stamford अस्पताल कुल संपत्ति की तुलना निम्नलिखित के अनुसार करेगा: आवेदक का प्राथमिक आवास और प्राथमिक वाहन को संपत्तियों में शामिल करने से छूट प्राप्त होगी।

- वित्तीय सहायता के निर्धारण में किसी अतिरिक्त अचल और निजी संपत्ति का उपयोग मूल्यांकन में किया जा सकता है।
  - संयुक्त सेविंग्स और चैकिंग खातों में नकद राशि को भी वित्तीय सहायता निर्धारण में उपयोग किया जाएगा।
  - यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि अनुरोध करने पर चैकिंग/सेविंग्स खाते के पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध करवाए।
  - स्वीकार्य दस्तावेजों में वर्तमान बैंकबुक या विवरण शामिल होंगे।
3. सामान्यतः बिल की गई राशि ("AGB") की गणना वसूले जाने वाली राशि को पीछे पलटकर देखने की विधि अपनाकर की जाएगी। (व्यक्तियों को अनुरोध करने पर विशिष्ट AGB प्रतिशत और गणनाओं का विवरण प्राप्त हो सकता है।)
  4. यह मानते हुए कि व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, Stamford अस्पताल फिर लागू की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करेगा।

एक व्यक्ति जिसकी आय FPG के 200% और 400% के मध्य है, Stamford अस्पताल सेवा के लिए छूट का स्तर निर्धारित करेगा यदि रोगी के परिवार की सकल वार्षिक आय Stamford अस्पताल की वित्तीय सहायता गणना तालिका के अनुसार नवीनतम FPG के चार गुना को पूरा करती है या उससे अधिक नहीं है। यह छूट रोगी की देयताओं पर लागू होगी जो बीमा रहित रोगियों के लिए पीछे-देखना विधि (लुक बैक मेथड) पर आधारित AGB है। या, बीमित रोगियों के लिए कटौती राशियों, सहभुगतान या सहबीमा देयता का निर्धारण रोगी के परिवार की सकल वार्षिक आय और Stamford अस्पताल की वित्तीय सहायता गणना तालिका के अनुसार FPG उपयोग करते हुए किया जाएगा।

स्लाइडिंग स्केल चार्ट निम्नानुसार रोगी की देयताओं में छूट प्रदान करेगा:

FPL के 200% से FPL के 250% तक	100% छूट
FPL के 251% से FPL के 300% तक	90% छूट
FPL के 301% से FPL के 350% तक	80% छूट
FPL के 351% से FPL के 399% तक	70% छूट
400%	60% छूट

5. बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए भुगतान प्लान के उपयोग की अनुमति है। ऐसे प्लान के अंतर्गत मासिक भुगतान अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक सीमित होगा, अपवादों का मूल्यांकन मामला दर मामला के आधार पर किया जा सकता है। भुगतान प्लान के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
6. यदि एक रोगी अस्पताल में एक मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष चैरिटेबल आउटरीच प्रोग्राम द्वारा रेफर किया जाता है जो ऐसे नियम और शर्तों की पेशकश करता है जो पूर्ववर्ती से अलग हैं तो Stamford अस्पताल उस प्रोग्राम में भाग ले सकता है और अनुपालन के लिए इस पॉलिसी में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा।
7. कोई रोगी जो एक पूरे किए गए आवेदन की समीक्षा करने पर इस पॉलिसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र निर्धारित किया जाता है वह इस पैराग्राफ में नीचे वर्णित के अलावा निर्धारित किए जाने की तारीख से एक (1) वर्ष तक इस प्रकार निर्धारित की गई सहायता के लिए (बगैर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता के) पात्र होगा। निर्धारण की तारीख आरंभिक निर्धारण करने की तारीख या यदि अपील की गई है तो एक अपील करने के बाद निर्धारित करने की तारीख होती है। पूर्ववर्ती के होते हुए भी, बदली हुई परिस्थितियों में जब रोगी को अनुभव हो कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, रोगी एक (1) वर्ष की अवधि के दौरान दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और यदि लागू हो तो इस पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

8. यह अपेक्षा की जाती है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला रोगी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में (जैसे बीमारहित से बीमित में बदलने की स्थिति); Stamford अस्पताल फाइनेंशियल काउंसलर (वित्तीय सलाहकार) को (203) 276-7572 पर सूचित करेगा ताकि इस पर भविष्य में विचार किया जा सके। परिस्थितियों में ऐसे सकारात्मक बदलाव पहले दी गई वित्तीय सहायता में कमी करने के लिए लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षा नहीं की जाती कि एक रोगी परिस्थितियों में मामूली बदलावों की रिपोर्ट करे, इसके बजाय केवल तभी करें यदि यह स्पष्ट हो कि बदलाव से वित्तीय सहायता के निर्धारण में अंतर हो सकता है।

यदि Stamford अस्पताल को ज्ञात होता है कि वित्तीय सहायता के लिए किसी आवेदक ने आवेदन प्रक्रिया में झूठी जानकारी उपलब्ध करवाई है, तो ऐसी जानकारी को Stamford अस्पताल द्वारा आवेदन की अपनी समीक्षा में या वित्तीय सहायता के लिए पात्रता जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।

### निर्धारण का नोटिस

Stamford अस्पताल वित्तीय सहायता आवेदन के लिए पूरे किए गए प्रत्येक अनुरोध की समीक्षा करने और निर्धारण करने के बाद वित्तीय सहायता स्वीकृति पत्र के साथ FAP आईडी कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी भरेगा:

- निर्धारण की तारीख
- रोगी का नाम
- रोगी का चिकित्सा रिकॉर्ड नम्बर
- प्रभावी तारीख
- उचित पदाधिकारी द्वारा योग्यता निर्धारण (स्वीकृति/अस्वीकृति)
- छूट के लिए स्वीकृत राशि

यदि वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है, Stamford अस्पताल वित्तीय सहायता निर्धारण फार्म पर अनुरोध अस्वीकार करने का कारण दर्ज करेगा और रोगी या कानूनी अभिभावक को अस्वीकृति पत्र मेल करेगा या सौंपेगा।

Stamford अस्पताल वित्तीय सहायता आवेदन के लिए पूरे किए हुए अनुरोध सहित नोटिस (अस्वीकृति या स्वीकृति) की प्रतियों को फाइल में रखेगा।

वित्तीय सहायता अस्वीकार होने पर रोगी अपील कर सकते हैं और सहायता के स्तर के लिए भी अपील कर सकते हैं। रोगी उनके आवंटित वित्तीय सलाहकार को फोन करके, ग्राहक सेवा विभाग को ईमेल करके, फाइनेंशियल काउंसलर (वित्तीय सलाहकार) को लिखित रूप में या PBS डिपार्टमेंट में व्यक्तिगत रूप से जाकर अपील की शुरुआत कर सकते हैं। यदि रोगी एक अपील दायर करता है, Stamford अस्पताल के पेशेंट बिजनेस सर्विसेज के फाइनेंशियल काउंसलर (वित्तीय सलाहकार), टीम लीडर या मैनेजर किसी नई जमा गई सामग्री सहित रोगी के दस्तावेजों की पुनर्समीक्षा करेंगे और दोबारा इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति को दर्ज करेंगे और इस सेक्शन के अनुसार, अपील जमा करने के तीस (30) दिनों के अंदर रोगी को सूचित करेंगे।

यदि व्यक्ति ने यह दर्शाया है कि वह नोटिस या संचार के इलेक्ट्रॉनिक रूप को प्राथमिकता देता है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत अस्पताल द्वारा सभी लिखित नोटिस या संचार इलेक्ट्रॉनिक मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

### वित्तीय सहायता पॉलिसी का प्रसार

अस्पताल रजिस्ट्रेशन स्टॉफ की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि रोगी के रजिस्ट्रेशन के समय सरल भाषा सारांश बगैर शुल्क वितरित किया जाए। Stamford अस्पताल उन व्यक्तियों को सूचित करेगा जो अस्पताल की वित्तीय सहायता पॉलिसी के बारे में

Stamford अस्पताल की सेवाओं की लागतों के बारे में पूछताछ करते हैं और Stamford अस्पताल वित्तीय सहायता पॉलिसी के बारे में संकेत चिन्ह अस्पताल के आपातकालीन डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन स्थानों और प्रतीक्षा कक्षाओं और क्लिनिकों सहित अन्य उचित सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। यथा आवश्यक, Stamford अस्पताल समय-समय पर इस पॉलिसी और अनुसूची C को अपडेट करेगा जो अस्पताल की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है।

## संग्रह गतिविधियां

Stamford अस्पताल अपनी ओर से कार्यरत संग्रह एजेंसियों से इस नीति का पालन करने का लिखित अनुबंध प्राप्त करेगा, जहां उचित हो वहां रोगियों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे करें इस संबंध में एक अनुबंध सहित। Stamford अस्पताल द्वारा उपयोग की जा रही किसी भी संग्रह एजेंसी को रोगी द्वारा Stamford अस्पताल की बकाया राशि संग्रह करने के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने से पहले Stamford अस्पताल से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

यदि रोगी ने एक पूरा भरा हुआ वित्तीय सहायता आवेदन किसी आपेक्षित सहयोगी दस्तावेज के साथ जमा किया है, जब अस्पताल सहायता के लिए रोगी की पात्रता निर्धारित करता है तो Stamford अस्पताल एक ECA (नीचे परिभाषित) करने से बचेगा।

किसी भी कर्ज को संग्रह के लिए रेफर नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्ज को संग्रह करने हेतु कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले रोगी को कर्ज संग्रह करने के लिए रेफर करने के बारे में एक नोटिस नहीं दिया जाता है।

अस्पताल अपनी बिलिंग और संग्रह पॉलिसी में वर्णित को छोड़कर असाधारण संग्रह प्रक्रिया ("ECAs") में शामिल नहीं होगा। (बिलिंग और संग्रह पॉलिसी फाइनेंस डिपार्टमेंट (वित्त विभाग) से अनुरोध करने पर उपलब्ध है, सम्पर्क नीचे उपलब्ध किया गया है) ECA में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) एक रोगी से बिल संग्रह करने के लिए कानूनी कार्यवाही आरंभ करना (लेकिन इसमें लंबित दिवालिया प्रक्रिया में दावा दाखिल करना शामिल नहीं है)
- (ii) एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी या क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करना
- (iii) व्यक्ति की संपत्ति पर ग्रहणाधिकार करना (स्टेट कानून के अनुसार निर्णय होने पर अनुमत ग्रहणाधिकार या प्रदान की गई देखभाल से संबंधित व्यक्तिगत क्षति के निपटारे के अतिरिक्त)
- (iv) किसी व्यक्ति के बैंक खाते या अन्य निजी संपत्ति को संलग्न या जब्त करना
- (v) वेतन गार्निशिंग ।

अस्पताल निम्नलिखित ECA में संलग्न नहीं होगा

- (i) अचल संपदा को प्रतिबंधित करना
- (ii) किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बंधुआ की शर्तों के अधीन होने का कारण होना  
किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण होना
- (iii) जब तक विशेष शर्तें पूरी नहीं हों किसी व्यक्ति के कर्ज को अन्य पक्ष को बिक्री करना
- (iv) चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल को स्थगित करना या इंकार करना या किसी पिछले बिल का भुगतान नहीं होने के कारण देखभाल करने से पहले भुगतान की माँग करना।

दिवालियेपन का दावा करना एक ECA नहीं माना जाता है।

## रिपोर्टिंग और अनुपालन

Stamford अस्पताल वित्तीय सहायता प्रोग्राम के संबंध में कनेक्टिकट स्टेट को आपेक्षित रिपोर्ट जमा करवाएगा।

अस्पताल की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर FAP निर्धारण की समीक्षा अधिकृत आंतरिक कर्मचारी द्वारा की जाती है।

### **सम्पर्क जानकारी**

वित्तीय सहायता प्रोग्राम के बारे में और जानकारी के लिए या वित्तीय सहायता का आवेदन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस एसोसिएट (वित्तीय सहायता सहायक) से बात करने के लिए (203) 276-7572 पर फोन करें। विदेशी भाषा में स्पेनिश और क्रियोल शामिल हैं, यदि अनुरोध किया जाए तो अनुवाद उपलब्ध किया जा सकता है।

अपना वित्तीय सहायता आवेदन पूरा करने के बाद एक मुलाकात निश्चित करने के लिए कृपया अपने आवंटित फाइनेंशियल असिस्टेंस काउंसलर (वित्तीय सहायता सलाहकार) से सम्पर्क करें। आवेदन पर प्रक्रिया करने के लिए कृपया अनुरोध किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं।

Stamford Health  
1351 Washington Boulevard, 7th Floor  
Stamford, Connecticut 06902

या

फैक्स करें: 203-276-7093